न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर

बईजलास यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 63 / 2012

वादीगण

1. मोहम्मद खां पुत्र कायमदीन
2. निजामदीन पुत्र कायमदीन
3. सफी मोहम्मद पुत्र कायमदीन
4. हजूर खां पुत्र कायमदीन
5. नसरदीन पुत्र कायमदीन
6. निहालदीन पुत्र कायमदीन

सभी जाति मुसलमान निवासी बापीणी तहसील फलौदी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार फलौदी
2. बरकत पुत्र हनीफ तालव खां
3. अमीयत पत्नि हनीफ तालव खां
4. अलादीन पुत्र हनीफ तालव खां
5. अलादीन पुत्र जमाल खां
6. हुसैन खां पुत्र रज्जाक खां
7. सुभान खां पुत्र रज्जाक खां
8. जहुर खां पुत्र ईसु खां पुत्र रज्जाक खां
9. सफी मोहम्मद पुत्र ईसु खां पुत्र रज्जाक खां

सभी जाति मुसलमान निवासी मोहरा

10. आलम खां पुत्र लाल खां
11. मेहरे खां पुत्र लाल खां
12. खैरे खां पुत्र उस्मान खां
13. अयुब पुत्र मेहरदीन पुत्र फकरे खां
14. नेजे खां पुत्र फकरे खां
15. मेहंदे खां पुत्र समरे खां
16. नसीर खां पुत्र समरे खां
17. इब्राहीम खां पुत्र राजु खां
18. फतेह मोहम्मद पुत्र अली खां
19. अखे मोहम्मद पुत्र अली खां
20. गफुर खां पुत्र जमाल खां
21. फतेह खां पुत्र जमाल खां
22. हसने खां पुत्र जमाल खां
23. रहूफ खां पुत्र जमाल खां
24. उमर पुत्र छोटु खां
25. अली पुत्र छोटु खां
26. नजरी पुत्र छोटु खां
27. अयुब पुत्र सुभान खां
28. कमे खां पुत्र सुभान खां
29. आसमान पुत्र सुभान खां
30. इकबाल पुत्र सिकन्दर पुत्र सुभान
31. हनीफ पुत्र गांधी खां
32. रसूल पुत्र नूर खां

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

33\. आमदीन पुत्र नूर खां
राभी जाति मुसलमान निवासी
मोहरा तहसील फलौदी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. सिकन्द घोषी अधिवक्ता वादीगण
2. सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांकः– 24-12-19

वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है की ग्राम वापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 215 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 213 रकवा 95.04 बीघा, खसरा संख्या खसरा सख्या 217 रकबा 25.15 एवं ग्राम जुनेजों की ढाणी पटवार हल्का लोर्डिया के खेत खसरा संख्या 211/1 रकबा 28.04 बीघा भूमि आयी हुई है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर हम वादीगण के पूर्वजो का 160 वर्ष से कब्जा एंव काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादीगण निवास करते है जिसमें हमारी ढाणी एवं टांके व पशुओं के बाडे बने हुवे है। वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा हमारों काश्त के खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.06 बीघा में 1/2 हिस्सा भूमि पर, व खसरा संख्या 217 रकबा 25.15 बीघा के 1/4 हिस्सा व खसरा संख्या 211/1 रकबा 28.04 बीघा भूमि परमृत औरत मरीमों बेवा गैर अली के नाम भूलवंश दर्ज कर दी।

ग्राम बापीणी के खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.06 बीघा में 1/2 हिस्सा भूमि पर, व खसरा संख्या 217 रकबा 25.15 बीघा के 1/4 हिस्सा व खसरा संख्या 211/1 रकबा 28.04 बीघा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

इस घोषणा के माफिक राजस्व रेकर्ड में मृत मुसमात मरीमों के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावें। खसरा संख्या 215, 213, 211/1 ,217 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में रहन रखना इन्द्राज किया गया है उक्त इन्द्राज को दुरुस्त कर रहनदारो के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की उपरोक्त भूमि बाबत् दिनांक 16.01.2012 एवं दिनांक 27.01.2012 को निष्पादित हकतर्कनामा एवं शुद्विपत्र को वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्व प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावें। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर की जारी

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

फरमाई जावे की वादीगण की कब्जा काश्त भूमि पर किसी प्रकार की रद्दोबदल नही करें तथा न ही किसी प्रकार से बेदखल करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम बापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 215 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा, खसरा संख्या खसरा सख्या 217 रकबा 25.15 एवं ग्राम जुनेजों की ढाणी पटवार हल्का लोर्डिया के खेत खसरा संख्या 211/1 रकबा 28.04 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। ग्राम बापीणी के संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.06 बीघा में 1/2 हिस्सा भूमि पर, व खसरा संख्या 217 रकबा 25.15 बीघा के 1/4 हिस्सा व खसरा संख्या 211/1 रकबा 28.04 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया की वादीगण का वाद मुख्य रुप से खसरा नम्बर 215,213,211/1, 217 ग्राम बापिणी एवं ग्राम जुनेजो की ढाणी की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का है, वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त एवं उससे पूर्व वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पैरोंकार सरकार ने राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बेंच के निर्णय भगवान व अन्य बनाम प्रभूदयाल के कायम मूकाम व अन्य आर आर टी -2018 का निर्णय पेश किया है। जिसमें मंडल की डबल बेच ने स्पष्ट निर्णय पेश किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद डिक्री नही किया जा सकता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन पश्चात वादी का दावा दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित नही होने एवं मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में खारिज योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, खारिज का डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकन नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24-12-19 को सरे इजलास सुनाया गया है।

यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर
फलौदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.08 14:30:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: